रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 713] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 29, 2010/पौष 8, 1932

No. 713] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2010/PAUSA 8, 1932

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 1027(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) द्वारा पठित, धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना को अनुसूची संलग्न में प्रदर्शित के रूप में मुम्बई पत्तन के न्यासियों के बोर्ड द्वारा बनाए गए मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी निवास ऋण (संशोधित) विनियम स्वीकृत करता है ।

2. उक्त विनियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से लागू होगा।

अनुसूची

मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी गृह निर्माण ऋण (संशोधन) विनियम, 2010

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा सौंपे अधिकारों का उपयोग करते हुए, एवं उसी अधिनियम की धारा 124 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार की मंजूरी से मुम्बई पत्तन न्यास का न्यासी मंडल निम्नलिखित विनियम बनाता है, आगे मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी गृह निर्माण ऋण विनियम, 1972 में समय-समय पर किए संशोधनानुसार यथासंशोधित निम्न संशोधन किया है :—

1. लघु शीर्षक और आरंभ.—(1) ये विनियम "मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी गृह निर्माण ऋण (संशोधन) विनियम, 2010" कहालाये जाएं ।

(2) ये विनियम सरकार की मंजूरी सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. वर्तमान 'मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी गृह निर्माण ऋण विनियम' में—

(i) विनियम 8 में उप-विनियम 3 के रूप में निम्न जोड़ा जाए—

"(3) अध्यक्ष, मुम्बई पत्तन न्यास, बीमा का न कराया जाना अधिक से अधिक 2 वर्ष की अवधि के लिए माफ कर सकते हैं" ।

(ii) विनियम 7 में निम्न उप-विनियम जोड़े जाएं—

"(1) छोटे परिवार को बढ़ावा देने की दृष्टि से—जो कर्मचारी बन्ध्यीकरण करवा लें; उस कर्मचारी के मामले में गृह निर्माण पेशगी पर ब्याज की दर सामान्य ब्याज दर से आधा प्रतिशत कम लगायी जाएगी। यह रियायत निम्न शर्तों पर निर्भर होगी—

(i) कर्मचारी प्रजनन आयु-वर्ग में होना चाहिए । अर्थात् पुरुष कर्मचारी के मामले में उसकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए; और उसकी पत्नी की उम्र 20 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए । महिला कर्मचारी के मामले में उसकी उम्र 45 वर्ष से अधिक तथा उसके पति की उम्र 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(ii) कर्मचारी के एक, दो अथवा तीन जीवित संतान होनी चाहिए ।

(iii) बन्ध्यीकरण शल्यक्रिया मुं.पो.ट्र. अस्पताल/केन्द्र सरकार के अस्पताल/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/राज्य सरकार अस्पताल/क्लिनिक में किया होना चाहिए, और बन्ध्यीकरण प्रमाणपत्र वहाँ का जारी किया होना चाहिए, जहाँ यह संभव नहीं होगा, वहाँ बन्ध्यीकरण शल्यक्रिया कराने के लिए भारत सरकार/राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त स्वैच्छिक संस्था अथवा इस कार्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा

अनुमोदित/मान्यताप्राप्त अन्य किसी संस्था का ऐसा प्रमाणपत्र भी स्वीकार्य होगा; और

(iv) बन्ध्यीकरण शल्यक्रिया कर्मचारी स्वयं; अथवा उसकी पत्नी/उसका पति करा सकती है/सकता है—बशर्ते कि उक्त शर्तें (i) और (ii) पूरी की गयी हों।"

[फा. सं. पीआर-12016/21/2008-पी ई-I]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल विनियम दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्न के अनुसार संशोधित किए गये :

(1) दिनांक 23-7-2001 का सा.का.नि. सं. 547 (अ)

(2) दिनांक 12-5-2003 का सा.का.नि. सं. 393(अ)

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2010

G.S.R. 1027(E). –In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mumbai Port Trust Employees Housing Loan (Amendment) Regulations, 2010 made by the Board of Trustees of Mumbai Port as set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said Regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Mumbai Port Trust Employees Housing Loan (Amendment) Regulations, 2010

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), with the sanction of the Central Government under sub-section (1) of Section 124 of the said Act, the Board of Trustees of the Port of Mumbai hereby make the following regulations, further to amend the Mumbai Port Trust Employees Housing Loan Regulations, 1972, as amended from time to time, namely :—

1. Short Title and Commencement.—(1) These regulations may be called the "Mumbai Port Trust Employees Housing Loan (Amendment) Regulations, 2010".

(2) They shall come into force on publication of sanction of Government thereto in the Official Gazette.

2. In the present Mumbai Port Trust Employees Housing Loan Regulations,—

(i) In Regulation 8, the following may be added as sub-regulation 3—

"(3) The Chairman, Mumbai Port Trust may condone the non-insurance for period not exceeding two years."

(ii) In Regulation 7, the following sub-regulations may be added as : —

"(1) As incentive to promote the Small Family Norms, the rate of interest on House Building Advance to such employee as volunteer for sterilization, will be half per cent less than the normal rate of interest. The concession will be subject to the following conditions :

(i) the employee must be within the reproductive age group. In the case of a male employee, this would mean he should not be over 50 years and his wife should be between 20 and 45 years of age. In the case of a female employee, she must not be above 45 years and her husband must not be over 50 years of age.

(ii) The employee should have one, two or three living children;

(iii) The sterilization operation should be conducted in and the sterilization certificate issued by Mumbai Port Trust Hospital/a Central Government Hospital/CGHS/State Government Hospital/Clinic. Where this may not be possible, such certificate from a Voluntary Institution getting grant from the Government of India/State Governments for conducting sterilization operations or any other Institution approved recognised by the Central Government for this purpose will also be acceptable; and

(iv) The sterilization operation can be undergone either by the employee or his/her spouse provided the conditions at (i) and (ii) are fulfilled."

[F. No. PR-12016/21/2008-PE-I]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* No. G.S.R. 598(E), dated 31st December, 1996 and subsequently amended *vide* :

(1) G.S.R. No. 547(E), dated 23-7-2001.

(2) G.S.R. No. 393(E), dated 12th May, 2003.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.